निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 67 वर्ष 2018-2019

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, सिचाई खण्ड, धारचूला** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, सिचाई खण्ड, धारचूला** के माह 11/2014 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अक्षय कुमार, श्री सुनील कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अंकित पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27/10/2018 से 03/11/2018 तक श्री .....वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार : जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला एवं मुंस्यारी विकास खण्ड में कृषकों को सिंचाई उपलब्ध कराना एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
2014-15	-	-	120.20	81.58	4062.69	3245.23	-	38.62	-	817.46
2015-16	-	-	212.55	160.49	5229.72	2873.70	-	52.06	-	2356.02
2016-17	-	-	208.08	164.18	3596.24	3155.44	-	43.89	-	440.80
2017-18	-	-	149.81	149.29	2896.36	2808.75	-	0.52	-	87.61
2018-19	-	-	132.64	95.66	219.30	108.94	-	36.97	-	110.36

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत
2014-15	-	-	4043.99	3226.53	817.46
2015-16	-	-	5003.21	2712.04	2291.17
2016-17	-	-	3440.27	3002.66	437.61
2017-18	-	-	2794.52	2731.47	63.05
2018-19	-	-	-	-	-

(III) इकाई को बजट आवंटन ..... द्वारा किया जाता है।

(IV) इकाई की श्रेणी B है।

(V) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(VI) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता, सिचाई खण्ड, धारचूला** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, सिचाई खण्ड, धारचूला** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2015 , 11/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(VII) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा .....13....., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक... शून्य निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह ....नहीं की गयी है....की गई।

5. फार्म 51: माह 09/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम ` 40 /-

   भाग द्वितीय ` शून्य /-

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 09/2018 के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	शून्य
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	` 1385349.00 /-
(ङ)	भण्डार	शून्य

भाग-2(ब)

प्रस्तर : 1 - उप खनिजों पर रु 183466.87 रायल्टी कम वसूली।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड धारचूला के अंतर्गत मोरी,लुप्ति एवं घट्टाबगड़ की बाढ़ सुरक्षा योजना से सम्बन्धी अभिलेखो की जांच मे पाया कि उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 211/**VII-1/24-**ख/2007 देहारादून दिनांक 26/02/2016 को विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू या मोरम बजरी या वोल्डर या इसमे से कोई भी मिलीजुली अवस्था में हो की विद्ध्मान रायल्टी की दरें रु 50.00 प्रति टन या रु 90.00 प्रति घनमीटर के स्थान पर रु 194.50 प्रति घनमीटर प्रतिस्थापित किया गया था तथा शासनादेश में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि "यह तुरंत प्रवृत होगी"। इसके अनुसार खण्ड के द्वारा प्रतिस्थापित रायल्टी की दर रु 194.50 प्रति घनमीटर के स्थान पर रु **90.00** एवं रु **80.00** प्रति घनमीटर पुरानी दरों से ही वसूला जा रहा है। जिस कारण से उक्त शासनादेश के पश्चात किए गए मोरी,लुप्ति एवं घट्टाबगड़ की बाढ़ सुरक्षा योजना से संबन्धित ग्राम लुप्ति के **I,II** एवं **III** देयक से रु 531142.70 रायल्टी कम वसूला गया है। उक्त के संबंध में यह इंगित करने पर खंड ने उत्तर मे बताया कि रायल्टी दरों में संशोधन से संबन्धित आदेश के अनुपालन मे संशोधित दरों के कारण कम काटी गयी रायल्टी रु 531142.70 की जांच कर ठेकेदार की जमा जमानती राशि से वसूली कर ली जायेगी।

खंड के उत्तर से स्पष्ट है कि उक्त कार्य के **I,II** एवं **III** देयक से रायल्टी की कम कटौती की गई थी, जो कि संशोधित दर रु 194.5 प्रति घन मीटर की दर से कटौती की जानी चाहिए थी अत: रु 531142.70 रायल्टी कम वसूले जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

I,II एवं **III** देयक के अनुसार कुल उपयोग उप-खनिज एवं कुल रायल्टी

Sand = 1463.34cum* 121.56/m^3 = रु **177883.61**

Stone Agg.= 2095.78cum* 121.56/m^3 = रु **254763.00**

Stone = 1207.48cum* 121.56/m^3= रु **146781.26**

कुल कटौती की जानी चाहिए थी = रु **579427.87**

I,II,III देयक से कटौती की गयी रायल्टी = रु **395961.00**

अवशेष रायल्टी = रु 183466.87

भाग-2(ब)

प्रस्तर -2 वित्तीय नियमो के विपरीत अनुबंध गठित कर अपूर्ण कार्य पर रु 146.12 करोड़ का व्यय किया जाना एवं <u>बिना भिन्नता (Variation) विवरण स्वीकृत के रु0 13.06 लाख का अनुचित व्यय किया जाना।</u>

बिन्दु संख्या 03(10) अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की अवाश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड VI के प्रस्तर 370 के अनुसार No authority can enter into a agreements into which he is not empowered under prescribed " Delegation of Financial Powers" by the state Government and the financial rules infringed under para -368 and 369 of the FHB(Vol-6). The rule-369 provided that ' No individual contractor may receive second contract in connection with the same work or estimate while the first is still in force, if the total sum of his contracts exceeds the powers of acceptance of the authority concerned.

<u>अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के बिन्दु संख्या 35</u> के अनुसार रु 25 लाख से अधिक की धनराशि के समस्त कार्यो की **e-tendering** के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर अनुबंध गठित किया जाएगा।

नाबार्ड (RIDF XXII) के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास मुंस्यारी के मदकोट कस्बे की बाढ़ सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवार के कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति दिनांक: 22 दिसम्बर 2016 को अधीक्षण अभियंता सिचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़ द्वारा रु 223.19 लाख की प्रदान की गयी। कार्य के निष्पादन हेतु वर्तमान तक दो अनुबन्ध के सापेक्ष रु 146.12 लाख का भुगतान किया गया था। कार्य से संबन्धित अभिलेखो के अवलोकन मे पाया गया कि:-

1. खंड द्वारा वित्तीय प्रावधानों के विपरीत रु 223.19 करोड़ के कार्य मे से लेखापरीक्षा तिथि तक रु 176.72 लाख के अनुबंध 5 टुकड़ो मे विभक्त कर गठित किए गये थे। जबकि लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य केवल दो अनुबन्ध के सापेक्ष ही किया गया था तथा कार्य स्वीकृत (वर्ष 2016) के 2 वर्ष बाद भी लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण था।
2. कार्य के निष्पादन हेतु M/s Narayan Singh& Sons के साथ अनुबन्ध संख्या 01 /ई०ई०/2016-17 दिनांक 21.12.2016 को लागत रू 61.93 लाख का गठित किया। जिसके सापेक्ष रु 74.99 लाख

का भुगतान किया गया। खण्ड द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की भिन्नता विवरण स्वीकृति के अनुबन्ध के सापेक्ष ठेकेदार को **रु 13.06 लाख** का अधिक भुगतान कर दिया गया।

3. <u>अधिप्राप्ति नियमावली **(जुलाई)** 2017 के बिन्दु संख्या 35</u> के अनुसार रु 25 लाख से अधिक की धनराशि के समस्त कार्यो की **e-tendering** के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर अनुबंध गठित किया जायेगा किन्तु खण्ड द्वारा बिना **e-tendering** के ही रु 52.49 लाख का अन्य अनुबंध 03/EE/2017-18 दिनांक: 06.10.2017 को गठित कर कार्य कराया गया जिसके सापेक्ष रु 66.68 लाख (अनुबन्ध राशि से रु 14.19 लाख अधिक) का भुगतान किया गया ।
4. खण्ड द्वारा वर्ष 2018-19 मे रु 62.29 के तीन अन्य अनुबंध 01/EE/2018-19, 02/EE/2018-19 एवं 03/EE/2018-19 दिनांक: 05.06.2018 को एक ही ठेकेदार श्री प्रदीप कुमार के साथ गठित किए गए, जिसके द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक भी कार्य नही किया गया था ।

उक्त के संबंध में यह इंगित करने पर खंड ने बिन्दु संख्या-1 के संबंध मे मे बताया कि दैवीय आपदा से संबन्धित तात्कालिक प्रवृति के कार्य शीघ्र कराये जाने हेतु कार्य को टुकड़ों में विभाजित कर निष्पादन कराया गया। बिन्दु संख्या-2 के संबंध मे अवगत करवाया गया कि स्वीकृति वर्तमान मे उपलब्ध नही हो पा रही है। बिन्दु संख्या- 3 के संबंध मे अवगत करवाया गया कि दैवीय आपदा से संबन्धित तात्कालिक प्रवृति के कार्य यथा समय पूर्ण होने आवश्यक था **e-tendering** के माध्यम से कार्य कराये जाने मे अत्यधिक समय लगना तय था जिस कारण अल्पकालीन निविदाये आमंत्रित की गयी। बिन्दु संख्या- 4 के संबंध मे अवगत करवाया गया कि ठेकेदार की दरे न्यूनतम होने के कारण तीनों अनुबंध एक ही ठेकेदार से किए गये।

खण्ड का उत्तर दैवीय आपदा से संबन्धित तात्कालिक प्रवृति के कार्य शीघ्र कराये जाने हेतु कार्य को टुकड़ों में विभाजित कर निष्पादन कराया गया मान्य नहीं है। क्योंकि कार्य स्वीकृति के 2 वर्ष बाद भी अपूर्ण था तथा वर्ष 2018-19 मे गठित किए गये तीन अनुबंधो के सापेक्ष अभी तक कोई भी कार्य नही कराया गया था। रु 25 लाख से अधिक की धनराशि का अनुबंध अल्पकालीन निविदाये आमंत्रित का गठित करना वित्तीय नियमो के विपरीत था। साथ ही खण्ड द्वारा अनुबन्ध संख्या 01 /ई०ई०/2016-17 से सापेक्ष रु0 13.06 लाख का अधिक भुगतान बिना सक्षम अधिकारी की भिन्नता स्वीकृति के किया जाना वित्तीय नियमो के विपरीत था।

अतः प्रकरण को उच्च अधिकार्यों के सज्ञान में लाया जाता है !

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः 3 - नहरों से सींच लक्ष्यों की प्राप्ति न होना।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, धारचूला के सींच एवं नहरों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि खण्ड के अन्तर्गत परिचालित 54 नहरे जिनका CCA 1571 हेक्टेयर था। उनके द्वारा विगत 03 वर्षों (वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18) तक अधिकतम 0.00 हैक्टेयर एवं न्यूनतम 0.00 हैक्टेयर सींच ही उपलब्ध कराई जा रही थी जो कि प्रस्तावित सींच का 0.00 प्रतिशत है (विवरण संलग्न है), तथा उक्त नहरों की मरम्मत पर विगत तीन वर्षो मे रु॰ 84.58 लाख व्यय करने के उपरांत भी कुल सीसीए मे से लगभग 1571 हेक्टेयर भूमि वर्तमान मे भी असिंचित थी ।

लेखा परीक्षा द्वारा प्रस्तावित सींच के सापेक्ष 0.00 प्रतिशत सींच उपलब्ध कराने एवं 1571 हेक्टेयर भूमि असिंचित रहने के प्रश्न पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि खंड मे विगत तीन वर्षो से राजस्व अधिष्ठान मे कोई भी कर्मचारी न होने के कारण सींच के आकडे उपलब्ध न होने के कारण सींच की प्रगति शून्य रही है ।

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि खण्ड का मुख्य कार्य ही स्थानीय किसानो को सींच प्राप्त कराना है, खण्ड द्वारा उसके अंतर्गत नहरों की सींच को लगातार दर्ज किया जाना चाहिए ताकि कम सींच देनी वाली नहरों की मरम्मत आदि कर पूर्ण सींच की प्राप्ति की जा सके। खण्ड के अभिलेखो के अनुसार विगत तीन वर्षों से लगातार उक्त नहरों से शून्य सीच प्राप्त हो रही है जबकि खण्ड द्वारा इस अवधि में उक्त 54 नहरों पर रु॰ 84.58 लाख की धनराशि भी व्यय की है। खंड द्वारा उच्च अधिकारियों से राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति हेतु किए गए संबन्धित पत्राचार की प्रति भी खण्ड के पास उपलब्ध नही थी, जो सींच के प्रति खण्ड के अधिकारियों/कर्मचारियो की उदासिनता को दर्शाता है।

अतः खण्ड द्वारा नहरों के प्रस्तावित सींच लक्ष्यों को प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग -II(ब)</u>

प्रस्तर-4 कार्य की गुणवनता में कमी के कारण ठेकेदारों पर लगायी गयी अर्थदण्ड की धनराशि रु0 1.59 लाख की वसूली न किया जाना ।

एवं

कार्य निष्पादन हेतु किए गए वास्तविक भुगतान के सापेक्ष कार्य पर रु0 35.85 लाख का कम व्यय भारित किया जाना एवं उपभोग प्रमाण पत्र (Utilisation Certificate) में रु0 32.50 लाख का अधिक व्यय दर्शाना ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड धारचूला पिथोरागढ़ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुंस्यारी में मदकनिया नदी के बायें पारर्व पर स्थित ग्राम रोपाड़ एवं दाये पारर्व पर स्थित धामीगाव एवं डोबरीगाव की मदकनिया नदी से बाड़ सुरक्षा कार्य हेतु अनुमानित लागत रु0 958.09 लाख के सापेक्ष रु0 957.55 लाख की प्राविधिक स्वीकृति (03/2014) में प्राप्त थी ! कार्य से संबन्धित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराई गयी ! खण्ड द्वारा कार्य निष्पादन हेतु 11 अनुबंध एवं 4 वर्क ऑर्डर गठित करते हुये (रु0 820.93 लाख + रु0 2.66 लाख) कुल रु0 823.59 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया है जबकि खण्ड द्वारा शासकीय लेखे (मासिक लेखा 3/2018, प्रपत्र 64,) में कार्य पर कुल रु0 787.74 लाख का व्यय भारित करते हुये उपभोग प्रमाण पत्र (Utilisation Certificate) में रु0 856.09 लाख का व्यय दर्शाया गया है ! इस प्रकार खण्ड द्वारा कार्य निष्पादन हेतु किए गये वास्तुविक भुगतान के सापेक्ष कार्य पर {रु0 823.59 लाख(-) रु0 787.74 लख }= रु0 35.85 लाख का कम व्यय भारित किये जाने के साथ साथ उपभोग प्रमाण पत्र (Utilisation Certificate) में {रु0 856.09 लाख (-)रु0 823.59 लाख} = रु0 32.50 लाख का अधिक व्यय दर्शाया गया है ! आगे जांच

में यह भी पाया गया कि कार्य निष्पादन के द्वारन कार्य की गुणवनता में कमी पाने के कारण ठेकेदारों पर कुल रु0 1.59 लाख का अर्थदण्ड लगाया गया था (विवरण संलग्न) जिस की वसूली खण्ड द्वारा प्रथमतः की गयी थी परंतु अगले बीजकों में अद्यतन निष्पादित कार्य (upto date work executed) हेतु ठेकेदारों को देय कुल धनराशि में से भुगतान की गयी धनराशि घटाते हुये भुगतान किये जाने से पूर्व में वसूले गये अर्थदण्ड की धनराशि का भुगतान भी किया गया है ।

उक्त की और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अर्थदण्ड की धनराशि रु0 1.59 लाख के संबंध में अपने उत्तर में बतलाया कि जांच / समीक्षा करने के उपरान्त संबन्धित ठेकेदारों से कटोती की जायगी । साथ ही कार्य निष्पादन हेतु किए गये वास्तुविक भुगतान के सापेक्ष शासकी लेखे (मासिक लेखा माह 3/2018) एवं उपभोग प्रमाण पत्र (Utilisation Certificate) में दर्शाये गये व्ययों में भिन्नता की जांच कर सुधार किया जाएगा ।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही है क्योंकि उक्त कार्य पूर्ण हो जाने के कारण अर्थदण्ड की धनराशि रु0 1.59 लाख ठेकेदारों से कैसे वसूला जाए गा साथ ही कार्य निष्पादन हेतु किए गये वास्तविक भुगतान के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र (Utilisation Certificate) में दर्शाये गये व्ययों में भिन्नता की जांच बिना भुगतान वाउचरो के कैसे हो सकती है क्योंकि खण्ड द्वारा बतलाया गया कि उक्त कार्य के निष्पादन हेतु कोई और अनुबंध या वर्क ऑर्डर गठित नहीं किया गया है ।

अतः प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, सिचाई खण्ड, धारचूला** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। **तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

   .....

3. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबद्ध रहे।**

   (1) श्री पी. के. दीक्षित अधि. अभि. 19/06/2014 से 11/03/2018 तक।

   (2) श्री ललित कुमार अधि. अभि. 12/03/2018 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, सिचाई खण्ड, धारचूला** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कौलागढ़,देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2